TaxcodeIN | www.taxcode.in

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं. 19/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 724(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा –

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है।

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/131/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

No.19/2019-Central Tax (Rate)

G.S.R. 724(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, all the goods supplied to the Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) for execution of projects listed below in the Annexure, from whole of the Central Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, namely:-

(i) the quantity and description of the goods; and

(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects.

ANNEXURE

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,

(2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[F.No. 354/131/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

TaxcodeIN | www.taxcode.in